न्यायालय सत्र न्यायाधीश (रमाबाई नगर) कानपुर देहात ।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1185/2026

CNR No.UPRN01-003146-2026

1. ज्ञान सिंह पुत्र स्व० गजोधर निवासी ग्राम संग्रामपुर, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात।

...आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मुकदमा अपराध सं०–235/2024

धारा–191(2),115(2),352,351(2),324(2),110 बी०एन०एस०

थाना–शिवली, कानपुर देहात।

आदेश

1. मुकदमा अपराध सं०–235/2024,धारा–191(2),115(2),352,351(2),324(2),110 बी०एन०एस० थाना–शिवली, कानपुर देहात के मामले में आवेदक/अभियुक्त ज्ञान सिंह की तरफ से जमानत हेतु यह जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन के कथनानुसार वादी मुकदमा विनोद के द्वारा इस आशय की तहरीर संबंधित थाने पर दी गयी कि वह ग्राम संग्रामपुर, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात का मूल निवासी है। वह दिनांक–30.07.2024 को समय करीब दस बजकर तीस मिनट पर अपने पुत्र विनय के साथ खेत पर काम करने घर जा रहा था। जैसे गांव के पास वह अपने साथ सुरेश के दरवाजे पर पहुँचा तो वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे ज्ञान सिंह, मुकेश कुमार, संजय, आजाद, धर्मेन्द्र आदि धारदार हथियार व अवैध असलहों से लैस होकर मारपीट करने लगे। वह व उसका पुत्र अपनी जान बचाकर सुरेश के घर में घुस गये। ये दबंग लोग धारदार हथियार लेकर घर के अन्दर घुस कर मारपीट कर घायल कर दिया और कुछ अज्ञात लोग ईट पत्थर सुरेश के घर पर चलाने लगे। उसका इन दबंग लोग से रास्ते को लेकर पूर्व विवाद था। इसी बात को लेकर रंजिश मानते थे। जबकि पूर्व तहसील प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ ग्राम समाज की सम्पत्तियाँ लेखपाल ने मुकदमा भी दर्ज कराया था। उसे व उसके पुत्र विनय, शिवपाल, खुशी, सुमित्रा, राम सेवक, विशाल को गंभीर चोटे आयी है। घर का पूरा सामान तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। जाँच कराकर दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही की याचना की गयी।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मामले में बाद में धारा–110 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी है। सही बात यह है कि वादी ने अभियुक्त के भाई फूल सिंह के साथ मारपीट किया था, जिसका मुकदमा अ०सं०–236/2024, धारा–115(2),352,351(2) बी०एन०एस० के तहत दर्ज कराया गया है तथा फूल सिंह की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर मामले में धारा–110 बी०एन०एस० कीक बढ़ोत्तरी की गयी है, जो घटना का क्रास वर्जन है। चुटहल सुमित्रा देवी, शिवपाल, रामसेवक, योगेन्द्र कुमार, विनोद आदि को साधारण चोटे आयी है तथा वादी विनोद के सी०टी०स्कैन में सर पर लीनियर फ्रैक्चर होना पाया गया है। डाक्टर ने यह नीं बताया कि इससे जान का खतरा हो सकता है। अभियुक्त की उम्र 70 वर्ष है। चुटहलों को धारदार हथियार व अवैध असलहों की चोट आना नहीं बताया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। वादी उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, मना करने पर अजब सिंह, संजय, प्रमोद , फूल सिंह, सोनम व मुकेश आदि लोगों को बुरी तरह से चुटहल कर दिया था। किसके हाथ में कौन सा हथियार था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह उसका प्रथम जमानत आवेदन है। अभियुक्त दिनांक–21.05.2026 से जेल में है। उक्त आधारों पर जमानत दिये जाने की याचना की गयी।

5. अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने मौखिक रूप से तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित रूप से जमानत प्रा0 पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर धारदार हथियार से वादी मुकदमा विनोद कुमार उसके पुत्र विनय, शिवपाल, खुशी, सुमित्रा, राम सेवक, विशाल को मारपीट कर चोटे पहुँचायी गयी तथा मौके पर ईट

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.05.27 16:18:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्थर चलाया गया है। वादी के सी०टी०स्कैन में सर पर लीनियर फ्रैक्चर पाया गया है। आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार उन्होंने अपराध की प्रकृति को गम्भीर होना बताकर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर धारदार हथियार से वादी मुकदमा विनोद कुमार उसके पुत्र विनय, शिवपाल, खुशी, सुमित्रा, राम सेवक, विशाल को मारपीट कर चोटे पहुँचायी गयी तथा मौके पर ईट पत्थर चलाया गया है। मामले में एफ०आई०आर० धारा–191(2),115(2),352,351(2),125,324(2),बी०एन०एस० में दर्ज कराया गया। मामले में डा०सुरभि खत्री ने अपने बयान में सुमित्रा देवी, शिवपाल, योगेन्द्र कुमार के साधारण चोटे आना बताया गया है तथा विनय यादव व रामसेवक की चोटों को देखते हुये रेफर किये जाने का कथन किया है। चुटहल/वादी विनोद के सिर के सी०टी०स्कैन में लीनियर फ्रैक्चर पाया गया है तथा चोटे ग्रीवियस प्रकृति की बतायी गयी है, जिसके आधार पर मामले में धारा–110 बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी की गयी है। इस मामले में अभियुक्त पक्ष की तरफ से मामले का क्रास केस अ०सं०–236/2026 दर्ज होने का तथ्य रखा गया है। घटना में कौन सा पक्ष मारपीट में अग्रसरण था, इसका निर्धारण जमानत के स्तर पर नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त का अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक–21.05.2026 से जेल में है। अभियुक्त को आरोपित आरोपों में धारा–110 बी०एन०एस० में अधिकत्तम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है।

7. अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सेन्टर ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773 के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

8– तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा मु०–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही राशि के एक प्रतिभू सहित, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार निष्पादित करने पर, उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये। अभियुक्त के द्वारा निम्न आशय का अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत किया जाये–

1– आवेदक इस आशय का वचनपत्र दाखिल करेगा कि दौरान विवेचना वह विवेचना में सहयोग करेगा तथा विवेचना उपरान्त दौरान विचारण न्यायालय साक्षियो को डराये धमकायेगा नहीं और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा ।

2– आवेदक दौरान विचारण साक्ष्य की तिथि पर साक्षियों के न्यायालय में उपस्थित रहने पर वह स्थगन की मांग नहीं करेगें तथा इस शर्त का उल्लंघन होने पर इसे जमानत का दुरूपयोग माना जायेगा तथा न्यायालय इसके विरूद्ध विधिनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

3– आवेदक विचारण प्रारम्भ होने के समय,आरोप विरचन एवं बी०एन०एस०एस० की धारा–351 के अन्तर्गत पृच्छा अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाती है कि आवेदक जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुए आवेदकगण के विरूद्ध विधिनुसार कार्यवाही करेगी ।

दिनांक–27.05.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003